न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 04/2021 प्रार्थना पत्र/251ए./जी.सी.एम.एस./2021/47 दिनांकः–26.09.2023

अनवान

1. श्री रोड़सिह पिता मोहनसिह राजपुत नि. जणवो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. श्री लालसिह पिता मोहनसिह राजपुत नि. जणवो का खेड़ा तह. बड़ीसादड़ी

प्रार्थीगण

॥ बनाम ॥

1. श्री पन्नालाल पिता भेरा मीणा नि. जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
2. श्रीमति मगनीबाई पत्नि भेरा मीणा नि. जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
3. श्रीमति मोहनीबाई पत्नि भंवरलाल मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
4. श्री शंकरलाल पिता भंवरलाल मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
5. श्री अम्बालाल पिता भंवरलाल मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
6. श्री मथरालाल पिता रूपा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
7. श्री मति धापूबाई पुत्री रूपा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
8. श्रीमति मोहनी पुत्री रूपा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
9. श्री कन्ना पुत्र धूरा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
10. श्री देवा पुत्र धूरा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
11. श्री मांगीलाल पुत्र धूरा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
12. श्री सीताराम पुत्र धूरा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी
13. श्री शंकरलाल पुत्र धूरा मीणा नि.जणवो का खेड़ा तह.बड़ीसादडी

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,</u>

उपस्थित– दिनेश कुमार वैष्णव वकील प्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में [illegible] प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में [illegible] धारा 251–ए [illegible] इस

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा जणवो का खेडा पटवारी हलका बोहेडा बी तहसील बडीसादड़ी में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 5260 रकबा 0.94 हैक्टर आराजी न. 5261 रकबा 0.11 हैक्टयर आराजी नम्बर 5262 रकबा 0.04 हैक्टयर आराजी नम्बर 5263 रकबा 1.01 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण का 2/6 हक हिस्सा एवं शेष 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के भाई मृतक फतेहसिंह जी के वारिसान अमरसिंह गोविन्दसिंह, नर्बदा कुंवर, नारायणसिंह, प्रेम कुंवर, भगवतसिंह, महेन्द्रसिंह, महिपाल सिंह, शेतानसिंह, सत्यन्द्रपाल सिंह, के नाम दर्ज रिकॉर्ड है वादग्रस्त आराजीयात बटवाडे से प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई सरकारी रास्ता मौजूद नहीं है प्रार्थीगण अपनी आराजी पर सरकारी रास्ता जो कि जणवों का खेडा से मानपुरा की सीमा तक जाता है जिसके आराजी नम्बर 5211 है उक्त रास्ते से होते हुए विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 5247 के दक्षिण दिशा की पाली तथा विपक्षीगण संख्या 5 से 13 के खातेदारी आराजी नम्बर 5248 कि उत्तरी पाली पर होकर यानी की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5247 व 5248 के बीच की पाली पर होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 5260,5261,5262,5263, पर जाते है अपने कृषि उपकरण टैक्टर बैल आदि लेकर आते जाते है जिससे करीब 60, 70 वर्ष हो चुके है इससे पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज आते जाते थे यानि की कदमी से प्रार्थीगण विपक्षीगण के पाली के मध्य स्थित रास्ते से होकर आते जाते रहे है शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के उपयोग कर रहे है प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार रास्ते देने बाबत मौखिक कहा लेकिन विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु काफी तकलिफो का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नम्बर 5247,5248 के मध्य सीमा से 14 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाकर उक्त रास्ते को लाल स्याही से अंकित कराया जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सुचना पत्र से तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षी संख्या 1 से 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये विपक्षी नम्बर 12, 13 की मृत्यु हो जाने से बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संसोधित टाईटल सलग्न ... किया गया तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 निमय 10 का पेश किया ... भी ... कार किया जाकर एलआर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

नोटिस जारि किये गये जो भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गए ।

न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार बडीसादड़ी को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई ।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार बडीसादड़ी द्वारा न्यायालय हाजा में मौका कमीशनरी रिपोर्ट जो कि भू0अ0नि0 बोहेडा व पटवारी हल्का बोहेडा द्वारा दिनांक 22.06.2021 को मुर्तिब की गई को उचितं कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या 526 दिनांक 22.06.2021 को अग्रेषित की गई । जिसमें वर्णित किया गया है कि ग्राम जणवो का खेडा की आराजी नम्बर खाता संख्या 67 व संवत् 2076 से 2079 में खातेदार से रोडसिंह, लालसिंह , पिता मोहनसिंह राजपूत 2/3 निवासी जणवों का खेडा शेष बदस्तूर जमाबंदी की आराजी नम्बर 5260 रकबा 0.94 हैक्टयर आराजी नम्बर 5261 रकबा 0.11 हैक्टयर आराजी नम्बर 5262 रकबा 0.04 हैक्टयर आराजी नम्बर 5263 रकबा 1.01 दर्ज रिकॉर्ड है उक्त आराजीयात में मौके पर आराजी नम्बर 5247, 5248, दोनों आराजीयात के महम आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। आराजी नम्बर 5247 रकबा 0.88 की दक्षिणी मेड पर रास्ता चाहा गया है लंम्बाई 146 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 292 वर्गमीटर रास्ता एवं आराजी नम्बर 5248 रकबा 0.89 हैक्टयर की उतरी मेड पर रास्ता चाहा गया है जिसकी लम्बाई 160 गुणा 2 मीटर बराबर 320 वर्गमीटर होकर विपक्षीगण की दोनों आराजीयात पर बैंक रहन दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर आराजी नम्बर 5260,5261,5263 में आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रकरणग्रस्त आराजीयात पर आने जाने हेतु न्यूनतम दूरी आराजी नम्बर 5247.5248 के महम में से ही आने जाने का रास्ता दिया जाना उचित है नक्शा ट्रैस में प्रस्तावित रास्ता बनाकर नक्शा ट्रैस संलग्न किया है ग्राम जणवों का खेडा की अधिकतम डी.एल.सी दर 310554 रूपये प्रति बिघा है

विपक्षीगण द्वारा भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाने एक पक्षीय कार्यवाही होने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से [illegible] है इसके अतिरिक्त अन्य कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 5260,5261,5263,5262 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5247,5248 में से होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 5260,5261,5262,5263 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5247,5248 आ.न.5247 मे से 146 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 292 वर्ग मीटर एवं आ.न. 5248 में से 160 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 320 वर्ग मीटर पडती है जिसका तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । उत्तरदाता की ओर से भी प्रकरण का खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर [illegible] निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

1. ग्राम जणवो का खेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की खसरा संख्या 5260,5261,5263,5262 हैक्टैयर भूमि पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5247,5248 आ.न. 5247 मे से 146 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 292 वर्ग मीटर एवं आ.न. 5248 में से 160 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 320 वर्ग मीटर पडती है। भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शें अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।

2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 612 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 310554/–रूपये प्रति बीघा से मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा।

3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.11.03 17:56:49 IST
Reason: SelfAttested